कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रायगढ़ (छ.ग.)

:: आदेश ::

क्रमांक / **3146** / कोरोना सेल / 2020 रायगढ़, दिनांक 11 / 04 / 2020

छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर के आदेश कमांक एफ–1–26 / 2020 / 17–1:: दिनांक 11.04.2019 द्वारा COVID-19 के संदर्भ में चिकित्सकीय विशेषज्ञों द्वारा COVID 19 के रोकथाम व बचाव हेतु प्रत्येक व्यक्ति को मास्क /फेस कवर पहनना आवश्यक बताया गया है । एतद् द्वारा एपिडेमिक एक्ट 1897 एवं छत्तीसगढ़ एपीडेमिक डीसीजेज कोविड–19 विनियम 2020 तथा छत्तीसगढ़ पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71(1) के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत आगामी आदेश तक प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति को घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों में निकलते समय मास्क / फेस कवर पहनना अनिवार्य किया जाता है ।

2– इसके लिये बाजार में मिलने वाले ट्रिपल लेयर मास्क का प्रयोग किया जा सकता है अथवा होम–मेड तीन परतों वाला फेस कवर बनाया जा सकता है । इस होम मेड मास्क / फेस कवर को साबुन से सफाई से धोकर पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है । मास्क / फेस कवर उपलब्ध न होने की स्थिति में गमछा, रूमाल, दुपट्टा आदि का भी फेस कवर के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, बशर्ते मुंह एवं नाक पूरी तरह से ढका हो । कभी भी उपयोग में लाया हुआ फेस कवर मुंह, नाक ढकने में प्रयुक्त होने वाला गमछा आदि का पुनः प्रयोग बिना साबुन से अच्छी तरह से साफ किये न किया जाए ।

3– बिना मास्क / फेस कवर के घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों पर जाना एपिडेमिक एक्ट 1897 एवं छत्तीसगढ़ एपिडेमिक डीसीजेज कोविड–19 विनियम 2020 तथा छत्तीसगढ़ पब्लिक हेल्थ एक्ट 19490 की धारा 71(1) का उल्लंघन माना जाएगा और तद्नुसार विधिक कार्यवाही की जावेगी ।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी
11/04 रायगढ़ (छ.ग.)

पृ0क्रमांक / **3146ए** / कोरोना सेल / 2020 रायगढ़, दिनांक 11 / 04 / 2020

प्रतिलिपि :–

1. सचिव छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित ।
2. पुलिस अधीक्षक,रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित्।
3. अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, रायगढ़ की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।
4. सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी, जिला रायगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वाथ्य अधिकारी, रायगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

4\. सहायक संचालक, जन संपर्क, जिला रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित्।

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी
रायगढ़ (छ.ग.)
11/04